रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052021-227004
CG-DL-E-17052021-227004

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 2021/वैशाख 27, 1943
No. 263] NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 2021/VAISAKHA 27, 1943

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2021

सा.का.नि. 329(अ).—बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2021 जिनको केंद्रीय सरकार 1986 तक यथासंशोधित कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 और धारा 5 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1991 और मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1962 एवं 2002 के प्रमुख नियम को उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो, या किए जाने का लोप किया गया था, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना निहित है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

2. सभी आपत्तियों और सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. कोई भी व्यक्ति जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आपतियों अथवा सुझावो, यदि कोई है तो वह सुझाव विचारार्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर कृषि एवं विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, एन.एच.-IV, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001 को अग्रेषित किया जा सकता है ।

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ.-

(1) इन नियमों का नाम बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2021 है ।

(2) ये नियम दो परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेलों के मिश्रण द्वारा तैयार किए गए सभी खाद्य वनस्पति तेलों पर लागू होंगे ।

(3) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं .-** (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''कृषि विपणऩ सलाहकार'' से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) ''प्राधिकृत पैकर'' से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानकों और विहित प्रक्रिया के अनुसार बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेलों का श्रेणीकरण करने और उसे चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो;

(ग) "बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल" का आशय अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट गुणवत्ता और अनुपात वाली किन्हीं दो परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेलों के मिश्रण से है ।

(घ) ''प्राधिकार प्रमाण पत्र'' से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेलों के श्रेणीकरण और चिह्नांकन का प्राधिकार देता है;

(ड.) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;

(च) "श्रेणी अभिधान चिह्न" से नियम 3 में निर्दिष्ट "एगमार्क प्रतीक" अभिप्रेत है;

(छ) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत बनाए गए अन्य विनियम ।

(ज) "विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएँ) नियमों" से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएँ) नियम, 2011 अभिप्रेत है, और

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकण) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) और साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम एवं नियम में हैं;

3. **श्रेणी अभिधान चिह्न.-**श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाण-पत्र संख्या,''एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम, और अनुसूची-। में यथारूप से दिए गए सदृश्य श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बना "एगमार्क प्रतीक" होगा । लेकिन एगमार्क लेवल के बदले एगमार्क प्रतीक के प्रयोग की अनुमति केवल ऐसे प्राधिकृत पैकरों को दी जाएगी जिन्हें कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अथवा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अथवा समय समय पर विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसा करने की अनुमति प्रदान की गई हो ।

4. **श्रेणी अभिधान .-** बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल की गुणवत्ता उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची-II की तालिका के कॉलम (i) में निर्धारित किए गए मापदंड अनुसार होंगे ।

5. **गुणवत्ता.-** इन नियमों के प्रयोजन के लिए बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल की गुणवत्ता अनुसूची II में निर्दिष्ट के अनुसार होगी|

6. **पैकिंग करने की विधि.-** (1) बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल की पैकिंग टेंपरप्रूफ नए, ठोस और स्वच्छ टीनों, शीशे की बोतलों, कंटेनरों, जारों, कैनों में अथवा टेट्रा पैकों या फूड ग्रेड पोली पैक (लेमिनेटेड, एक्सट्रूजन, बहुपरत वाले) अथवा किसी बायो-डीग्रेडेबल पैकिंग सामग्री या अन्य ऐसी किसी पैकिंग सामग्री में की जाएगी जो साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अंतर्गत कृषि विपणन्न सलाहकार या उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो|

(2) पैकेजिंग सामग्री कीट और फफूंदी के प्रभाव से तथा जंग लगने वाले, रंग छोड़ने वाले हानिकारक पदार्थों से मुक्त होगी और इससे उत्पाद में कोई विषाक्त पदार्थ, अवांछित दुर्गंध अथवा स्वाद का असर अथवा रंग नहीं आना चाहिए|

(3) बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल की पैकिंग विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएँ) नियमों के प्रावधानों के अनुसार अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग/लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियमों की किसी अधिसूचना के अनुसार पैक आकारों में तथा कृषि विपणन सलाहकार द्वारा साधारण श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अंतर्गत दी गई अनुमति के अनुसार की जाएगी ।

(4) समान लॉट/ बैच और ग्रेड के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री की पैकिंग एक मास्टर कंटेनर में की जाएगी और उस पर श्रेणी अभिधान चिह्न सहित पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा ।

(5) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार का और समान श्रेणी अभिधान का बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल होगा।

(6) प्रत्येक पैकेज उचित और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा, ताकि उसकी सामग्री बाहर न फैल सके तथा उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रतीक नंबर अंकित किए जाएंगे ।

7. चिह्नांकन और लेबल लगाने की विधि.-(1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 11 के अनुसार सुरक्षित रूप से चिपकाया या अमिट रूप से मुद्रित किया जाएगा ।

(2) बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल की बिक्री अनिवार्य रूप से खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और पाबंदी) विनियम, 2011 के उप विनियम 2.1.1.5 तथा उप विनियम 2.3.14 की धारा 11 के अनुसार एगमार्क प्रमाणीकरण चिह्न के अंतर्गत की जाएगी । सील किए हुए पैकेज की बिक्री केवल एगमार्क प्रमाणन चिह्न जिस पर खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के विनियम 2.4.2 और खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2018 अथवा इस मामले में जारी किए गए किन्हीं संशोधनों के अंतर्गत अन्य लेबलिंग अपेक्षाओं के अलावा विनियमों में यथा उपलब्ध लेबल घोषणाएँ अंकित होंगी, के अंतर्गत की जाएगी ।

(क) परिष्कृत खाद्य तेलों के मिश्रण वाले प्रत्येक पैकेज पर पैक के ऊपर उसके ब्रांड नाम/ट्रेड नाम के ठीक नीचे निम्नलिखित लेबल घोषणा अंकित की जाएगी :-

बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल
(परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेल का नाम) ……………………..भार द्वारा %
(परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेल का नाम) ……………………..भार द्वारा %

(ख) लेबल घोषणा "बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल" के फोंट का आकार 5 मि.मी. से कम नहीं होगा और लेबल घोषणा "रिफ़ाइंड खाद्य वनस्पति तेल" का नाम............भार द्वारा %" के लिए फोंट का आकार 3 मि.मी. से कम नहीं होगा, परंतु यदि किसी पैकेज में खाद्य तेल की निवल मात्रा 5 लीटर और उससे अधिक है, तो लेबल घोषणा "बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल" के फोंट का आकार 10 मि.मी. से कम नहीं होगा । फ्रंट/सेंट्रल पैनल पर उत्पाद के नाम के साथ मोटे अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा भी अंकित की जाएगी, -

"खुले रूप में बिक्री के लिए नहीं"

(ग) बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेलों की बिक्री खुले रूप में नहीं की जाएगी । इसकी बिक्री सील किए गए पैकेजों, जिनका वजन 15 लीटर/किलोग्राम से अधिक नहीं होगा, में की जाएगी । बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल का कंटेनर टेंपर प्रूफ होगा ।

(घ) इसकी बिक्री मिश्रण में प्रयुक्त रिफ़ाइंड तेलों के साधारण अथवा जेनरिक नाम से भी नहीं की जाएगी, बल्कि इसकी बिक्री "बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल" अथवा इसके लिए एफ एस एस ए आई में उल्लिखित किसी अन्य नाम से की जाएगी ।

(ड़) बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल के पैकेजिंग लेबल पर "अति-परिष्कृत", "अतिरिक्त-परिष्कृत", "सूक्ष्म-परिष्कृत", "डबल परिष्कृत", "अल्ट्रा-परिष्कृत" जैसे किसी भी अतिरंजित अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(3) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त, प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से अंकित किया जाएगा, अर्थात, -

(क) वस्तु का नाम;

(ख) किस्म या ट्रेड नाम (वैकल्पिक);

(ग) श्रेणी;

(घ) भौतिक रूप से/रासायनिक रूप से परिष्कृत तेल घटक;

(ड.) लॉट/बैच संख्या;

(च) पैकिंग की तारीख;

(छ) शुद्ध भार;

(ज) ....माह..............वर्ष के पूर्व उपयोग हेतु सर्वोत्तम;

(झ) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित);

(ञ) प्राधिकृत पैकर का नाम और पता;

(ट) विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएँ) नियम अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेवलिंग) विनियमन 2018 या किसी समय पर लागू किसी अन्य कानून अथवा इस अधिनियम के प्रावधान के तहत जारी किन्हीं अनुदेशों के अंतर्गत विर्निदिष्ट कोई अन्य विवरण ।

(4) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयोग की गई स्याही से बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल संदूषित नहीं होंगे ।

(5) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार अथवा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमावली के नियम 11 के तहत उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात श्रेणीकृत पैकेजों पर

अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित करेगा, परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित गुणवत्ता से भिन्न गुणवत्ता उपदर्शित नहीं करेगा ।

8. **प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शर्तें.-** (1) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए गए सभी अनुदेशों का पालन करेगा । इन नियमों के अंतर्गत बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेलों के श्रेणीकरण और चिह्नांकन के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी:-

(2) प्राधिकृत पैकर के पास दोनों घटक वनस्पति खाद्य तेलों के प्रकटीकरण और परिष्करण के लिए या तो अपनी मशीनरी और उपकरण होंगे या उसके पास एफ एस एस ए आई के अनुसार निर्धारित गुणवत्ता के रिफाइन्ड विशिष्ट वनस्पति तेलों की खरीद के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी;

(3) प्राधिकृत पैकर द्वारा तेलों के मिश्रण से पूर्व रिफाइन्ड वनस्पति तेलों तथा बहु स्रोत तेलों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए अपनी स्वयं की खाद्य वनस्पति तेल श्रेणीकरण प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी जिसमें सभी तरह के उपकरण और आवश्यक रसायन उपलब्ध होंगे । इस प्रयोगशाला का प्रबंधन कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अथवा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमावली के नियम 9 के अंतर्गत उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से अनुमोदित योग्य रसायनज्ञ द्वारा किया जाएगा, बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेलों और उपयोग आने वाला रिफाइन्ड खाद्य वनस्पति तेल के गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए ।

(4) प्राधिकृत पैकर द्वारा इन नियमों के अंतर्गत बहु स्रोत खाद्य तेल का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने के लिए अनुमोदित किए गए रसायनज्ञ को सभी तरह की आवश्यक सुविधाएं और सहायता दी जाएंगी ।

(5) प्राधिकृत पैकर द्वारा मिश्रण प्रक्रिया तथा मिश्रण तैयार करने के लिए प्रयोग किए गए अलग-अलग तरह के घटक तेलों की मात्रा तथा उनकी विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा और इसे एक निर्धारित प्रोफॉर्मा में आवधिक आधार पर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(6) खाद्य तेलों की प्रोसेसिंग, मिश्रण और पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले परिसरों को समुचित संवातन और प्रकाश सहित स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशाओं में रखा जाएगा और इन कार्यों में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे।

(7) प्राधिकृत पैकर के परिसरों में पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी, फर्श में दरारे नहीं होंगी और वह नमी, किसी तरह के कृंतकों और कीटों के उत्पीड़न से मुक्त होगा ।

(8) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ द्वारा, परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलिंग और अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित ऐसे सभी अनुदेशों का पालन किया जाएगा जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए गए हों ।

(9) प्राधिकृत पैकर द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रेणीकृत बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल की बिक्री केवल सील पैकों में ही की जाएगी, न कि खुले रूप में, जैसा कि एफ एस एस ए आई विनियमों के अंतर्गत प्रावधान किया गया है ।

(10) बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र ऐसे परिसरों के लिए प्राधिकृत पैकरों को नहीं दिया जाएगा जहां एगमार्क के अंतर्गत यह प्राधिकार प्रमाण-पत्र कच्चे खाद्य वनस्पति तेलों के श्रेणीकरण और चिह्नांकन के लिए पहले ही दिया जा चुका हो ।

(11) प्राधिकृत पैकर द्वारा एफ एस एस ए आई या एगमार्क में यथा निर्धारित सभी तरह के पैरामीटरों का अनुपालन करने और उचित रिकॉर्ड रखने के अलावा घटक वनस्पति तेलों और मुख्य वनस्पति तेलों का फैटी एसिड प्रोफ़ाइल्स के संदर्भ में विश्लेषण कराना होगा।

(12) बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल का प्राधिकार प्रमाण-पत्र ऐसे परिसरों के लिए नहीं दिया जाएगा जो पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषित क्षेत्र हैं और जहां औद्योगिक गतिविधियों से दुर्गंध, धुआँ और बड़ी मात्रा में कालिख, धूल, रसायन अथवा जैविक उत्सर्जन पैदा होते हैं और जिनसे खाद्य वनस्पति तेल अथवा बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल के संदूषित होने का खतरा होता है और विनिर्माण क्षेत्र को किसी तरह के संदूषणों से सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

(13) बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल के प्राधिकृत पैकर द्वारा कृषि विपणन सलाहकार के अनुदेशों के अनुसार बहु स्रोत तेलों की खाद्य सुरक्षा पैरामीटरों के अनुसार जांच कराई जाएगी ।

[फा. सं. क्यू11047/04/बीईवीओ/2020-मानक]

प्रसान्त कुमार स्वाईं, अपर सचिव (विपणन)

अनुसूची I

(नियम 3 देखें)

(एगमार्क प्रतीक का डिजाइन)

वस्तु का नाम…………………..

श्रेणी…………………………………..

अनुसूची II

(नियम 4 और 5 देखें)

बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल दो परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेलों का सम्मिश्रण होगा, जहां प्रयोग किए गए किसी परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेलों का अनुपात वजन के अनुसार 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा और मिश्रण में प्रयोग किए गए विशेष घटक तेल की गुणवत्ता प्राकृतिक गुणों के अनुरूप तथा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम और एगमार्क में यथा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप होगी।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i). बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल.-

(क) साफ होगा;

(ख) बासीपन, दुर्गनध, गंदगी, निलंबित अथवा अघुलनशील पदार्थ अथवा अन्य किसी विजातीय पदार्थ से मुक्त होगा;

(ग) पृथक्कृत जल; तलछट जमाव, योजित रंजक पदार्थ और किसी भी तरह के अन्य गंधयुक्त पदार्थ से मुक्त होगा;

(घ) खनिज तेल, आर्जिमोन तेल, अरंडी तेल, नीम तेल, करंज तेल, कुसुम तेल अथवा किसी अन्य प्राणी वसा और अखाद्य तेल अथवा चिकनाई से मुक्त होगा ;

(ङ) सिंथेटिक तेल से मुक्त होगा।

(ii). इसका मिश्रिण हाइड्रोसायनिक एसिड और ट्राइक्रिसाइल फास्फेट से मुक्त होगा|

(iii). बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल में खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अनुमेय एंटी-ऑक्सीडेंटस फूड एडिटिव्स और फोर्टिफिकेशन तथा संकेन्द्रण की मात्रा हो सकती है।

(iv). घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषण, कीटनाशी जीवो और नाशकजीवमारों, संदूषण सूक्ष्म अपेक्षाओ, फसल संदूषको, प्रकर्तिक रूप से पैदा होने वाले विषेले पदार्थो के अवशिष्ट स्तर के संबंध में निर्बंधनों और खाध्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, जीव-विष और अपशिष्ट) विनियम, 2011 और खाध्य सुरक्षा और मानक (खाध्य उत्पाद मानक तथा खाध्य मिश्रण) विनियम, 2011 और खाध्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अधीन बनाए गए विभिन्न विनियमों के अधीन यथा विर्निदिष्ट अन्य खाध्य सुरक्षा अपेक्षाओ का अनुपालन करेगा।

(v). निर्यात के मामलो मे यह भरी धातुओ, कीटनाशी जीवो के अपशिष्ट सीमाओ और कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग द्वारा अधिकथित अन्य खाध्य सुरक्षा मापदंडो निर्यात व्यापार के लिए या आयतकर्ता देश के अपेक्षाओ का अनुपालन करेगा।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड :

श्रेणी अभिधान	विवरण	गुणवत्ता मापदंड				
		नमी और परिवर्तनशील पदार्थ, वजन द्वारा प्रतिशत (से अधिक नहीं)	एसिड वेल्यू (से अधिक नहीं)	फ्लैश प्वांइट (पेंसकी मार्टिन क्लोज्डकप मैथड)	असाबुनिकरण पदार्थ, वजन द्वारा प्रतिशत	1/4" सेल में लोवीबोन्ड स्केल पर वाई + 5 आर के रूप में प्रदर्शित रंग (से अधिक गहरा नहीं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
परिष्कृत मिश्रण अ	यह मिश्रण राइस ब्रान तेल को छोड़कर किन्ही दो परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेल का सम्मिश्रण होगा, जहां प्रयोग किए गए किसी विशेष तेल का अनुपात वजन के अनुसार 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा	0.2	0.6	250°C से कम नहीं	1.5	3
परिष्कृत मिश्रण ब	यह मिश्रण राइस ब्रान तेल सहित किसी एक खाद्य वनस्पति तेल का सम्मिश्रण होगा, जहां प्रयोग किए गए किन्ही	0.2	0.6	250°C से कम नहीं	रासायनिक रूप से परिष्कृत ब्रान तेल के साथ मिश्रित 3.0 से अधिक नहीं भौतिक रूप से	10

	दो तेलों का अनुपात वजन के अनुसार 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा				परिष्कृत राइस ब्रान तेल के साथ मिश्रित : 4.0 से अधिक नहीं हो; परंतु ओरिजानोल की मात्रा कम से कम 0.20 प्रतिशत हो (वजन द्वारा), राइस ब्रान तेल के साथ 20 प्रतिशत का स्तर हो और मिश्रण में राइस ब्रान तेल की मात्रा में प्रत्येक 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 0.05 प्रतिशत की वृद्धि हो।	

टिप्पणीः परिष्कृत मिश्रण में ओरिजानोल की उपस्थिति के लिए परीक्षण नेगेटिव होगा।

4. अन्य अपेक्षाएं- (i) बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल की स्थिति ऐसी होगी की वह –

(क) यातायात और हैंडलिंग की स्थिति का सामना कर सके:

(ख) जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके ।

(ii) बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल का भंडारण ठंडे और शुष्क स्थान पर किया जाएगा तथा साथ ही इसे उचित स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद स्थिति में रखा जाएगा।

(iii) जहां फिल्टर किए गए नमूने को 35°C पर 24 घंटों के लिए रखा गया हो तो ऐसी स्थिति में बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल साथ और किसी तरह की गंदगी से मुक्त होगा।

(iv) आरजीमोन ऑयल सर्कुलर पेपर/पतली परत की उपस्थिति का विशलेषण करने के लिए क्रोमेटोग्राफिक विधि का उपयोग किया जाना चाहिए।

(v) बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेल के लिए प्रयोग किए गए परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेल, यदि विलायक निष्कर्ण से उत्पन्न होते हैं तो उन्हें मानव खपत के लिए सप्लाई करने से पूर्व उन्हें परिष्कृत किया जाएगा और वे खाद्य सुरक्षा मानक विनियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।

(vi) बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेलों में 33% से अधिक संतृप्त वसा अम्ल नहीं होंगे। बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेलों में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का आदर्श अनुपात 1: 5 से 1:10 तक हो सकता है। इस प्रयोजनार्थ, यदि बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेलों में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का आदर्श अनुपात होने का दावा किया जाता है, तो तीसरा तेल अर्थात् चिया तेल और / या अलसी / अलसी का तेल, कुल तेल का 5% तक मिला हो सकता है।

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 29 अक्तूबर, 1991 को सा. का. नि. सं. 657 (अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे, एवं विगत में दिनांक 20 अप्रैल, 1992 को सा.का.नि. सं. 422 (अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2021

G.S.R. 329 (E).— the following draft of the Multi Source Edible Vegetable Oils Grading and Marking Rules, 2021, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 and section 5 (B) of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) as amended upto 1986, and in supersession of the principal rule of Blended Edible Vegetable oils Grading and Marking Rules, 1991 and Blended Edible Vegetable oils Grading and Marking (amendment) Rules 1992 & 2002; except as respects things done or omitted to be done before such supersession is hereby published as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

2. All objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

3. Any person desirous of making any suggestion in respect of the said draft rules, may forward the same, within the period specified above, to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, CGO Complex, NH - IV, Faridabad (Haryana) 121001, who shall forward the same to the Central Government for consideration.

1. **Short title, application and commencement.-** (1) These rules shall be called the Multi Source Edible Vegetable oils Grading and Marking Rules, 2021.

   (2) They shall apply to all edible vegetable oil prepared by blending of two refined edible vegetable oil.

   (3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. -** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) ‘‘Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

   (b) ‘‘authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a Certificate of Authorisation to grade and mark Multi Source edible vegetable oils in accordance with the grade standards and procedure provided under these rules;

   (c) “Multi Source Edible Vegetable Oil (MSEVO)” means an admixture of any two refined edible vegetable oils of the quality and the proportion as specified in Schedule II;

   (d) Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorizing a person or a body of persons to grade and mark Multi Source Edible Vegetable Oil with the grade designation mark;

   (e) ‘‘General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 and their amendments made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

   (f) ‘‘grade designation mark" means the AGMARK Insignia referred to in rule 3 ;

   (g) Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and other regulations made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);

   (h) “Legal Metrology (Packed Commodities) Rules” means the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010); and

   (i) ‘‘Schedule" means a schedule appended to these rules.

   (2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 and General Grading and Marking Rules, 1988 shall have the same meanings as are assigned to them under the Act.

3. Grade designation mark.- The grade designation mark shall consist of the design of "AGMARK Insignia" as set out in schedule-I, incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", name of commodity and its grade. Provided that the use of Agmark replica in lieu of Agmark labels shall be allowed only to such authorised packers who have been granted the permission by the Agricultural Marketing adviser or an officer authorised in this regard or as may be specified from time to time.

4. **Grade designations.-** The grade designations to indicate the quality Multi Source Edible Vegetable Oil the criteria for grade designation as set out in schedule-II.

5. **Quality.-** For the purposes of these rules, the quality of Multi Source edible Vegetable Oil shall be as given in schedule-II.

6. **Method of packing.-** (1) Multi Source Edible Vegetable Oil shall be packed in temper proof sealed new, sound and clean tins, glass bottles, container, jars, cans or tetra packs or poly packs (laminated, extrusion, multilayer) made of food grade plastic materials or any bio-degradable packaging materials or any other packaging material which is approved by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorised by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) The packaging material shall be free from insect and fungal infestation, rust, imparting color deleterious substances and shall not impart any toxic substance or undesirable odour or flavor or color to the product.

(3) Multi Source Edible Vegetable Oil shall be packed in pack sizes in accordance with provisions of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules or any notification of Food Safety and Standards (Packaging)/ (Labeling and Display) Regulations and as may be allowed by the Agricultural Marketing Adviser under rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(4) Graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.

(5) Each package shall contain Multi Source Edible Vegetable Oil of the same type and of the same grade designation.

(6) Each package shall be properly securely sealed so as to disallow spilling with replica numbers issued by the competent authority.

7. **Method of marking and Labeling.-** (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or clearly and indelibly printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him under the rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) Multi Source Edible Vegetable Oil is mandatorily required to be sold under AGMARK certification mark as per sub-regulation 2.1.1.5 and clause 11 of sub-regulation 2.3.14 of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011. The sealed package shall be sold or offered for sale only under AGMARK certificate mark bearing the label declarations as provided in the regulations besides other labeling requirements under the regulation 2.4.2 of the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 and the Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2018 or any amendments issued in this matter.

(a) Every package containing an admixture of refined edible oils shall carry the following label declaration immediately below its brand name/trade name on front of pack, namely:-

Multi Source Edible Vegetable Oil (Name of refined edible vegetable oil) ……………………..% by weight (Name of refined edible vegetable oil)………………………% by weight

(b) The font size of the label declaration “Multi Source Edible Vegetable Oil” shall not be less than 5 mm and for label declaration “Name of refined edible vegetable oil …..% by weight”, font size shall not be less than 3mm;

Provided that the font size of the label declaration “Multi Source Edible Vegetable Oil” shall not be less than 10mm in case the net quantity of the edible oil contained in the packages is 5 litre and above.

There shall also be the following declaration in bold capital letters along with the name of product on front/central panel:-

“NOT TO BE SOLD LOOSE”.

(c) The Multi Source Edible Vegetable Oils shall not be sold in loose form. It shall be sold in sealed package weighing not more than 15 liter/Kg. The container having Multi Source Edible Vegetable Oil shall be tamper proof.

(d) It shall also not be sold under the common or generic name of the refined oils used in the Blend, but shall be sold as "Multi Source Edible Vegetable Oil" or any other nomenclature as referred in FSSAI for the same.

(e) Multi Source Edible Vegetable Oil packaging label shall not use any exaggerated expressions like "Super-Refined", "Extra-Refined", "Micro-Refined", "Double refined", "Ultra-Refined".

(3) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each label or package, namely :-

(a) name of the commodity;

(b) variety or trade name (optional);

(c) grade;

(d) constituent oils refined-physically/chemically

(e) lot/batch number;

(f) date of packing;

(g) net weight;

(h) Expiry/Use by /Best Before______MONTH______YEAR;

(i) Maximum retail price (inclusive of all taxes);

(j) Name and address of the authorised packer;

(k) any other particulars as may be specified under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, or under the Food Safety and standards(Packaging and Labeling) Regulations, 2011 or any other law for the time being in force or any instructions issued under the provisions of the Act.

(4) The ink used for marking on packages shall not contaminate the Multi Source Edible Vegetable oils.

(5) The authorised packer may after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorised by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided it does not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. Special conditions of Certificate of Authorisation. - (1) In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules every authorised packer shall follow all other instructions specified under the provisions of the Act, the following shall be the additional conditions for issue of Certificate of authorisation for grading and marking of the Multi Source Edible Vegetable Oil granted under these rules.-

(2) The authorised packer shall have own machinery and equipment for expression and refining of both the constituent vegetable edible oils or shall have appropriate arrangements for procurement of one specified constituent refined vegetable oils of the prescribed quality as per Food Safety Standard Authority of India.

(3) The authorised packer shall have set up his own edible vegetable oil grading laboratory fully equipped with all necessary chemicals, equipment's and apparatus for testing the quality of refined vegetable oils prior to blending and as the quality of the blended oils; manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him under the rule 9 of the General Grading and Marking Rules, for testing the quality of Multi Source Edible Vegetable Oils and refined edible vegetable oil to be used.

(4) The authorised packer shall provide all necessary facilities and assistance to the approved chemist for carrying out the grading and marking of the Multi Source edible oil under these rules.

(5) The authorised packer shall maintain proper record of analytical reports and quantity of the individual constituent oils used for blending and the production of blends shall submit periodical returns to the Directorate of marketing and inspection in the prescribed proforma.

(6) The premises for processing, blending and packing of edible oils shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(7) The premises shall have adequate storage facilities with pucca floor, free from dampness, any kind of cracks and crevices, rodent and insect infestation.

(8) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing, maintenance of records, which may be issued under the provisions of the Act.

(9) The authorised packer shall ensure that the graded Multi Source edible vegetable oil is sold only in sealed packs and not in loose form and as per provisions made under FSSAI regulations.

(10) CA of MSEVO will not be granted to those Authorised packers for such premises where CA has already been granted for grading and marking of raw edible vegetable oils under Agmark.

(11) The authorised packer has to get analysed constituent vegetable oils and principal vegetable oils for fatty acid profiles in addition to all parameters as prescribed in FSSAI or Agmark with proper records.

(12) CA of MSEVO shall not be granted to premises which are in environmentally polluted areas and industrial activities that produces disagreeable or obnoxious odour, fumes, excessive soot, dust, smoke, chemicals or biological emissions which pose a threat of contaminating the edible vegetable oil or MSEVO and suitable measures shall be taken to protect the manufacturing area from any potential contaminations;

(13) The authorised packer of MSEVO shall get analyzed lots periodically for food safety parameters as per instructions of the Agricultural Marketing Adviser.

[F. No. Q11047/04/BEVO/2020-std]

PRASANTA KUMAR SWAIN, Addl. Secy. (Marketing)

SCHEDULE I

(See rule 3)

(Design of Agmark Insignia)

Name of commodity Multi Source Edible Vegetable Oil
Grade………………………………….

Schedule II

(See rules 4 and 5)

Grade designation and quality of Multi Source Edible Vegetable Oil

1. Multi Source Edible Vegetable Oil shall be an admixture of any two refined edible vegetable oils except mustard oil, where the proportion of any of the refined edible vegetable oils by weight used shall not be less than 20 percent and the individual constituent oil used in the blend shall be of such quality which conforms to the natural characteristics and the quality as prescribed in Food Safety and Standards Regulations and Agmark.

2. **Minimum requirement:** (1) Multi Source Edible Vegetable Oil shall ,-

   (a) be clear;

   (b) be free from rancidity, obnoxious smell, turbidity, suspended or insoluble matter or any other foreign matter,

   (c) be free from separated water, sedimentations, added colouring matter and any other flavouring substances;

   (d) be free from mineral oil, argemone oil, castor oil, neem oil, Karanj oil, Kusum oil or any other animal fat and non edible oils or fats;

   (e) be free from synthetic oil.

(2) The blend shall be free from hydrocyanic acid and Tricresyl phosphate.

(3) Multi Source edible vegetable oil may contain permitted anti-oxidants, food additives and fortifications, the concentration as specified under Food Safety and Standards Regulations.

(4) for domestic trade, it shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011, and other regulations made for domestic trade under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).

(5) for export trade, it shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission or importing countries requirement for export.

3. Criteria for grade designation:

TABLE

Grade Designation	Description	Quality Parameters				
		Moisture and Volatile matter Percent by Weight (not more than)	Acid value (not more than)	Flash Point (Pensky Martin Closed cup method)	Unsaponifiable matter Percent by Weight	Colour on Lovibond Tintometer scale in 1/4" cell expressed as Y + 5R (not deeper than)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Refined Blend A	The Blend shall be the admixture of any two refined edible vegetable oil except Rice-bran oil where the proportion by wt. of any of the individually oil used shall not be less than 20% by weight	0.2	0.6	Not less than 250°C	1.5	3
Refined Blend B:	The blend shall be the admixture of any one of refined edible vegetable oil with refined rice bran oil where proportion by wt of any of the two individual oils used shall not be less than 20% by weight	0.2	0.6	Not less than 250°C	Blended with chemically refined rice bran oil : Not more than 3.0 Blended with physically refined rice bran oil: Not more than 4.0; provided that oryzanol content be minimum of 0.20 % (by weight) with rice bran oil at 20% level and with a increment of 0.05% with every 5% rise in rice bran oil content in the blend	10

NOTE: Test for presence of oryzanol in refined blend A shall be negative.

4. **Other requirements.-** (i) The condition of the Multi Source Edible Vegetable Oil shall be such as to enable it-

(a) to withstand transport and handling;

(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

(ii) Multi Source Edible Vegetable Oil shall be stored in cool, dry place and properly maintained in a clean and hygienic condition.

(iii) The MSEVO shall be clear and free from any turbidity where filtered sample is kept at 35°C for 24 hrs.

(iv) For analysis of presence of Argemone oil Circular paper/Thin Layer Chromatographic method is to be conducted.

(v) Refined edible Vegetable Oils used for Multi Source Edible Vegetable Oil, if produced by solvent extraction shall be refined before it is supplied for human consumption and shall confirm to the standards as laid down made under Food Safety and Standards Regulations.

(vi) Multi Source Edible Vegetable Oils shall not contain more than 33% of saturated fatty acids. Multi Source Edible Vegetable Oils may have an ideal ratio of omega 3 and omega 6 to be in the range of 1:5 to 1:10. For this purpose third oil namely Chia oil and/or Flaxseed/Linseed Oil, upto 5 % of the total oil, may be added if the Multi-Sourced Edible Vegetable Oil is claimed to have an ideal ratio of omega 3: omega 6.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Part-II, Section-3 sub-section (i), *vide* number G.S.R. 657(E), dated 29th October,1991 and were lastly amended vide number G.S.R. 422(E), dated 20th April,1992.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.05.17 18:10:11 +05'30'